


अभी इनका विवाह क्या उचित है?



कम उम्र में विवाह अनुचित है। क्यों कि उस वक्त लड़का या लड़की दोनों ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। कम उम्र में मां बनने से गर्भपात, अपरिपक्व प्रसव एवं मां की जान को खतरा रहता है।

ध्यान रखें:- विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष से कम न हो।

बाल विवाह कानून अपराध है | पहले खुद कमायें - फिर दुल्हन लायें